TWENTY RUPEES

समक्ष न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

~~R-46-I/14~~ R-39-I/14

RL-193952888
27-12-13

R-39-I/14

4092
आज
27-12-13 को पेश

केशवराम आयु 45 साल पिता सीताराम गाडरे (पवार),
कृषक, निवासी पोस्ट रजाड़ा, तहसील मोहखेड़, जिला
छिंदवाड़ा, म0प्र0

(139)

4092
27-12-13

------ पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमति दुर्गाबाई आयु 49 साल पत्नी लखनलाल पवार,
कृष्णा मोटर्स के सामने, नागपुर रोड, ग्राम सर्रा,
तहसील व जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0
2. श्रीमति टुकड़ीबाई आयु 70 साल पत्नी पुनू पवार,
3. श्रीमति जानकीबाई आयु 65 साल पत्नी बाबाजी पवार,
क्र0-2 एवं 3 निवासी पोस्ट ग्राम रजाड़ा, तहसील
मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0

------ उत्तरवादीगण

राजस्व पुनरीक्षण, अंतर्गत धारा-50 म0प्र0भू-रा0सं0-1959

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन है:-

अपीलार्थी/अनावेदक द्वारा उत्तरवादी/आवेदक दुर्गाबाई द्वारा प्रस्तुत रा0प्र0क्र0-10/अ-6/2012-13, दुर्गाबाई विरुद्ध टुकड़ीबाई वगै0 मौजा सारोठ, ब0नं0-554, प0ह0नं0-10, रा0नि0मं0 सांवरी, तहसील मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा में प्रकरण माननीय न्यायालय नायब तहसीलदार मोहखेड़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस निर्णय एवं आज्ञप्ति के आधार पर धारा-110 म0प्र0भू-रा0सं0 के प्रावधानों के तहत नामांतरण किया जा रहा था, उस पर उसे निरस्त करने का व्यवहार वाद क्र0-4-अ/2013 लंबित रहने के कारण केशवराव विरुद्ध दुर्गाबाई वगैरह लंबित रहने के कारण नामांतरण कार्यवाही स्थगित रखे जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र व आपत्ति दिनांक 5/10/2013 को निरस्त करने का आदेश पारित किया है और प्रकरण मूल आवेदन के

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 39—एक/14 जिला — छिंदवाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27—4—2016	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण दिनांक 19—10—11 को इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है । इसके उपरांत आवेदक को कई सूचनापत्र उपस्थित होने हेतु भेजे गये हैं परंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को आगे चलाने में कोई रूचि नहीं है । अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	